डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब/1700/2026 दिनांक : 18/07/2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा, उ०प्र०।

विषयः मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना सुविधा का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु पंजीकृत शिक्षकों द्वारा **eKYC** करते हुए कार्ड डाउनलोड किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय परिसर तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत् नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों को मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने हेतु पोर्टल प्रारम्भ है, जिस पर शिक्षकों द्वारा सीधे अपना फार्म **upsdc.gov.in** पर जाकर ऑनलाइन पूरित करना है तथा शिक्षकों के फाइनल सब्मिट फार्म को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध **officer Login** के माध्यम से वेरिफाई करना है, जिसके पश्चात् कुलसचिव की लॉग–इन पर सीधे ट्रांसफर हो जाएगा। समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों को उनके मोबाइल नम्बर पर टेक्स्ट मैसेज पर **User Id** आयोजक संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जा चुका है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि जिन सभी लाभार्थियों के आवेदन प्राचार्य तथा विश्वविद्यालय स्तर पर स्वीकृत किए जा चुके हैंए उनसे अनुरोध है कि वे https://beneficiary.nha.gov.in/ पोर्टल पर जाएँ अथवा **Google Play Store ls Ayushman App** डाउनलोड करें। पोर्टल/ऐप में **Mukhya Mantri Shikshak Cashless Chikitsha Yojna - Higher Sub Scheme** का चयन करें। इसके बाद आधार **eKYC** प्रक्रिया पूर्ण करें तथा अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि. निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभागए उत्तर प्रदेश शासनए लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. उप कुलसचिव, कुलपति सचिवालय, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
5. प्रभारी एजेन्सी को इस निर्देश से कि उक्त पत्र सम्बन्धित समस्त महाविद्यालय की कॉलेज लॉग–इन पर अपलोड करना सुनिशिचत करें।
6. गार्ड फाईल।

कुलसचिव